न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :— 108/2025 अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट

सुरेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम जाति ब्राहमण निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू—धारी पल्लू तहसील पल्लू।

—अप्रार्थी

उपस्थितः— श्री अनिल सिहाग वकील—प्रार्थी
राजपेरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक— 23/12/2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.12.2025 को विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 जरिये वकील पेश किया गया कि प्रार्थी के नाम तहसील पल्लू की रोही मौजा पुरबसर के खाता संख्या 417/399 के खसरा नम्बर 686 की 1.6440 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि भू—राजस्व अभिलेख में अंकित हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हैं, जिस पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा था, जिसका उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के साथ चिपते हुए अन्य काश्तकारान की कृषि भूमि लगती हुई हैं जो प्रार्थी से राजनैतिक व व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं इसी कारण उक्त काश्तकार प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में जबरन घुसकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि को अपनी आराजी में मिला लिया हैं। इस काण प्रार्थी ने अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतू निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार पल्लू द्वारा आदेश कमांक/भू0अ0/2025/2436 दिनांक 15.12.2025 के द्वारा पटवारी जसवंत पटवार हल्का पूरबसर व विनोद कुमार, पटवार हल्का मायला को सीमाज्ञान के आदेश पारित किये गये। जिस पर दिनांक 16.12.2025 को राजस्व पटवारी जसवंत पटवार हल्का पूरबसर व विनोद कुमार, पटवार हल्का मायला मौका पर पहूंचे तथा रिपोर्ट तैयार की, कि ग्राम पुरबसर के खसरा नम्बर 686 में रकबा 1.6440 हैक्टेयर दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी/वादी का कब्जा नहीं हैं इसलिए प्रार्थी/वादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता हैं। प्रार्थी के नाम तहसील पल्लू की रोही मौजा पुरबसर के खाता संख्या 417/399 के खसरा नम्बर 686 की 1.6440 हैक्टेयर दर्ज हैं तथा पड़ौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा कर रखा हैं। जिस कारण सही प्रकार से सीमाज्ञान नहीं हुआ हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी पूरबसर बहक [illegible] नजरी नक्शा, नकल दैनिक डायरी, नकल रिपोर्ट पटवारी पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.12.30 18:27:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को [illegible] सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार पल्लू से पत्र कमांक 828 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार राजस्व पल्लू ने अपने पत्र कमांक 2505 दिनांक 23.12.2023 के साथ मूल पटवारी हल्का रिपोर्ट पेश की। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी "वर्तमान जमाबन्दी में ख.नं. 686 की 1.644 है. सुरेन्द्र पुत्र आसाराम जाति ब्राह्मण निवासी पूरबसर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरे पर खातेदार का कब्जा काश्त ना होकर पड़ौसी खातेदार लिछमण पुत्र रावता जाति जाट का कब्जा काश्त है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में पत्थरगढ़ी व बेदखली का दावा कर कब्जा काश्त हेतु अनुतोष प्राप्त कर सकता है।"

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा पुरबसर के खसरा नम्बर 686 की 1.6440 हैक्टेयर दर्ज हैं तथा पड़ौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा कर रखा हैं। जिस कारण सही प्रकार से सीमाज्ञान नहीं हुआ हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का रिपोर्ट मुताबिक वाद भूमि के सीमाज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार पल्लू के आदेश की पालना में पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रार्थी का वाद भूमि पर कब्जा नहीं है व कब्जा पड़ौसी काश्तकार का होना बताया है। प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढ़ी का निवेदन किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पल्लू को आदेश दिये जाते है कि रोही मौजा पूरबसर के खाता सं. 417/399 के ख.नं. 686 की 1.644 है. बारानी भूमि पर अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर संबंधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर विधिवत पत्थरगढ़ी व पैमाईश करावे पत्थरगढ़ी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त पत्थर नम्बर/आवेदित रकबा में दर्ज सभी खातेदारों एवं पड़ौसी काश्तकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी व पैमाईश किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 18/12/2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.12.30 18:27:40 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रावतसर